फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 109/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/121) **श्रीमती नन्दुबाई बनाम श्री देवकिशन जाट**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.09.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री शिवनारायण जाट, पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री संजय, परमेश्वर पड़या - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** **1. श्रीमती नन्दुबाई पत्नि श्री मांगीलाल जाट, निवासी शम्भुपुरा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **1. श्री देवकिशन पिता श्री माधु जाट, निवासी नागा का खेड़ा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, गंगरार, बप्रकरण संख्या 58/2018 निर्णय दिनांक 16.08.2018 (अनवान श्री देवकिशन जाट बनाम श्रीमती नन्दुबाई)** **निर्णय** दिनांक 22.09.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, गंगरार, बप्रकरण संख्या 58/2018 निर्णय दिनांक 16.08.2018 (अनवान श्री देवकिशन जाट बनाम श्रीमती नन्दुबाई) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी श्री देवकिशन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार समक्ष एक प्रार्थना पत्र मय वसीयतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व.श्री मांगीलाल उर्फ मांगू पिता हेमा जाट निवासी शम्भुपुरा तहसील गंगरार के कोई जायन्दा संतान नहीं है, एवं दिनांक 18.12.2003 को श्री मांगु जाट ने उसके पक्ष में वसीयतनामा लिख देने से उसके खाते में दर्ज कृषि भूमि को उसके नाम दर्ज कराया जावें। • उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, गंगरार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम की धारा-135(2) के तहत दर्ज कर कार्यवाही आरम्भ की और निर्णय दिनांक 16.08.2018 से विवादित आराजीयात श्री देवकिशन एवं श्रीमती नन्दुबाई के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2018 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 23.08.2018 को अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 21.09.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि कथित वसीयतनामा एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है, जो फर्जी व बनावटी होने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पर्याप्त सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिसे पूर्णतया नजरअंदाज कर दिया गया। उक्त वसीयतनामा के संबंध में पुलिस थाना गंगरार में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें अनुसंधान पेडिंग है। वसीयत हेतु उपयोग में लिया गया स्टाम्प दिनांक 18.12.2003 को प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर श्री मांगु के नाम खरीदना अंकित नहीं है। स्टाम्प खरीदने एवं निष्पादित किये जाने के युक्त हस्ताक्षर में भिन्नता है। सभी हस्ताक्षर श्री मांगु के नाम पर फर्जी किये गये है। गवाह श्री देवकिशन के रिश्तेदार होने से झुठी गवाही दी गई। वसीयतनामा पर नोटरी का कोई टिकट एवं दर्ज क्रमांक अंकित नहीं है। अपीलार्थी श्रीमती नन्दुबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भी उक्त वसीयत निष्पादित नहीं होने के कथन किया गया जिसे अविधिक तौर पर अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया। इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 109/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/121) **श्रीमती नन्दुबाई बनाम श्री देवकिशन जाट**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संबंध में श्री गणेश एवं लेहरू जाट के बयान भी कलमबद्ध किये गये जिसमें उनके द्वारा वसीयत फर्जी होने का कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतशुदा आराजीयात के पैतृक भूमि होने के संबंध में भी कोई जांच नहीं की गई, न ही निर्णय में स्वअर्जित एवं पुश्तैनी होने पर अपना निष्कर्ष वर्णित किया गया है। वसीयत अपंजीकृत है और नियमों के तहत अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। वसीयतनामा विवादित होने से मूल वाद में इसकी विश्वसनीयता साबित करानी होती है। इसके लिए सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, राजस्व न्यायालय को वसीयत के वैधता एवं प्रमाणन को अधिकार प्राप्त नहीं है। तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर कार्यवाही की गई है। जहां वसीयत विवादित हो वहा वारिसान के नाम नामान्तरकरण पारित किया जाना प्रावधित है। अतः पुश्तैनी आराजीयात को मृतक के वारिस को विरासत से हस्तांतरित किया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 को निरस्त कर मृतक मांगीलाल उर्फ मांगु जाट की कृषि भूमि का नामान्तरकरण विरासत से अपीलार्थी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये-

1. 2022(1) डीएनजे (रेव) 442
2. 2017(2) आरआरटी पेज 1279
3. 2020(2) आरआरटी पेज 1066
4. 2022(1) आरआरटी पेज 359
5. 2011(1) आरआरटी पेज 646
6. 2016(2) आरआरटी पेज 1099

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया कि कि स्व.श्री मांगीलाल उर्फ मांगू पिता हेमा जाट निवासी शम्भुपुरा तहसील गंगरार के कोई जायन्दा संतान नहीं है, एवं दिनांक 18.12.2003 को श्री मांगु जाट ने श्री देवकिशन के पक्ष में वसीयतनामा लिख देने से उसके खाते में दर्ज कृषि भूमि को उसके नाम दर्ज कराया जाना था, इसलिए वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलने का आदेश प्रदान कराने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए श्री देवकिशन के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का विधिक आदेश पारित किया। नियमानुसार वसीयत को पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं है। राजस्थान में वसीयत प्रोबेट कराना आवश्यक नहीं है। श्री देवकिशन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, गवाह प्रस्तुत हुए है, जिसकी जांच तहसीलदार द्वारा की गई और वसीयत को प्रमाणित मानते हुए उसके आधार पर नामान्तरकरण पारित किये जाने का आदेश दिया। अपीलार्थी यदि वसीयत को फर्जी मानता है, तो उसके द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही एवं वसीयत को निरस्त कराने हेतु कोई वाद दायर किया हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की जांच उपरान्त तार्किक निर्णय पारित किया है, जिसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये-

1. आरआरटी 2020(2) पेज 1165
2. एआईआर 2007 पेज 238
3. आरआरडी 2004 पेज 60
4. आरबीजे 2003(10) पेज 598, 545
5. सीटी 2003(2) पेज 463
6. आरआरटी 2012(1) पेज 238
7. आरबीजे 2006(13) पेज 133, 136
8. आरआरटी 2001(2) पेज 990
9. आरआरडी 2004 पेज 727
10. आरआरडी 2002(2) पेज 786
11. आरआरडी 1992 पेज 360
12. आरआरडी 1994 पेज 520, 341
13. आरआरडी 1984 पेज 391

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 109/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/121) **श्रीमती नन्दुबाई बनाम श्री देवकिशन जाट**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14. आरआरडी 1994 पेज 124
15. आरबीजे 2006(13) पेज 133

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का आदरपूर्वक अध्ययन किया गया।

दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि श्री देवकिशन जाट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-135(2) भू-राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलने का अनुरोध किया। उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए तहसीलदार, गंगरार द्वारा निर्णय दिनांक 16.08.2018 पारित किया जिससे व्यथीत होकर अपीलार्थी श्रीमती नन्दुबाई जाट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 के उप धारा 6 (ख) के अनुसार एक व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है। इस प्रावधान के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व कथित अनरजिस्टर्ड वसीयत के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वसीयत मे सिर्फ आराजी संख्या 73 रकबा 2-32 है. एवं आराजी संख्या 140 से लगायत 149/223 कुल किता 10 रकबा 4.10 है. का ही श्री मांगीलाल व उसके भाई के अन्य हिस्सेदारों के साथ जमीन पर्दन-2 खरीद कर दर्ज रेकार्ड कराये जाने का अंकन किया गया है, परन्तु इसके संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा न ही इस न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालय समक्ष कोई विक्रय पत्र प्रस्तुत किये है। कथित अनरजिस्टर्ड वसीयत में वर्णित अन्य आराजीयात के अर्जन के बारे में कोई अंकन है कि भूमि श्री मांगीलाल द्वारा स्वअर्जित है अथवा विरासत से प्राप्त हुई है। न ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार द्वारा विवादित भूमियों के अर्जन के सम्बन्ध में कोई अपेक्षित जांच की कार्यवाही सम्पादित की गई। जिस वसीयत को आधार बनाया जा रहा है वह विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में सबंधित समस्त सम्पत्ति स्वअर्जित न होकर पैतृक भी है।

निर्विवादित स्थिति यह भी है कि श्री मांगीलाल जाट द्वारा निष्पादित वसीयत अपंजीकृत होकर नोटरीशुदा है, यद्यपि नोटरी के संबंध में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां बहस के दौरान प्रस्तुत की है। राजस्थान भू राजस्व (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 132 के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है साथ ही जहां वसीयती वारिस और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा 2020 RBJ 301 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है-

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- On the basis of Un-registered Will mutation cannot be attested- Non applicant should file a suit in the competent court who can decide about the validity of Will mutation proceedings is a fiscal proceedings in which rights about khatedar of land cannot be decided."

इसके अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर ही वसीयत की वैद्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है।

2017 (2) RRT 1279 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 109/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/121) **श्रीमती नन्दुबाई बनाम श्री देवकिशन जाट**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135 & 84 - Mutation- attested in favour of petitioners on the basis of Will-Addl. Collector allowed the appeal and found the will suspicious – Will was unregistered & only attested by the Notary – Divisional Commissioner found the will suspicious even then set aside the order of the Addl. Collector – BOR allowed the revision of non-petitioners – Held, No illegality or perversity in order passed by the BOR"

2016 (2) RRT 1099 में मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation- Will in favour of 'R' Addl. Divisional Commissioner directed to record the land in the name of heirs of 'L'- Dispute between natural heirs & testamentary heirs 'R'- 'R' is required to prove will in the regular suit- Suit for title is pending- Held, Interference in the order is not justified."

2003 (1) RRT 650 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण उनवानी जेठू बनाम भंवरसिंह व अन्य में स्पष्ट मत इस प्रकार से व्यक्त किया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation Proceeding – Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of Will of adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriated forum for adjudication of title."

उक्तानुसार जहां प्राकृतिक वारिसान व वसीयती वारिस के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी श्रीमती नन्दुबाई द्वारा कथित वसीयत पर अपना ऐतराज प्रस्तुत किया था, जिसके संबंध में पर्याप्त साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, अतः इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिस के मध्य विवाद था, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वसीयतनामा पर नोटरी का कोई स्टाम्प एवं दर्ज क्रमांक अंकित नहीं है। अपीलार्थी श्रीमती नन्दुबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भी उक्त वसीयत निष्पादित नहीं होने के कथन किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया। इस संबंध में श्री गणेश एवं लेहरू जाट के बयान भी कलमबद्ध किये गये जिसमें उनके द्वारा वसीयत फर्जी होने का कथन किया गया। वसीयत हेतु उपयोग में लिया गया स्टाम्प दिनांक 18.12.2003 को प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर श्री मांगु के नाम खरीदना अंकित नहीं है, इस संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष वर्णित नहीं किया गया। पुनः लेख है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतशुदा आराजीयात के पैतृक भूमि होने के संबंध में भी कोई जांच नहीं की गई, न ही निर्णय में स्वअर्जित एवं पुश्तैनी होने पर अपना निष्कर्ष वर्णित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि राजस्थान भू राजस्व (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 132के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक मांगीलाल को प्राप्त सम्पत्ति स्वंअजित है या पैतृक है, इस संबंध में तहसीलदार, गंगरार द्वारा अपेक्षित जांच की कार्यवाही नहीं की गई जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 के उप धारा 6 (ख) के अनुसार एक व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है। इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिस के मध्य विवाद था, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री देवकिशन जाट के आवेदन को स्वीकार कर वसीयत दिनांक 18.12.2003 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का जो आदेश दिनांक 16.8.2018 पारित किया है, वह उपरोक्त विधिक स्थिति में परिपेक्ष्य में न्यायोचित नहीं होने से निरस्तनीय है। इस प्रकरण में श्रीमती नन्दुबाई जाट अपीलार्थी का मृतक श्री मांगीलाल जाट की पत्नि होना निर्विवादित होना प्रमाणित है व श्रीमती नन्दुबाई प्रथम श्रेणी की वारिस है, इसलिए श्री मांगीलाल जाट की भूमियों का विरासत का नामान्तरकरण उसके नाम स्वीकृत किया जाना उपरोक्त विधिक

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 109/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/121) **श्रीमती नन्दुबाई बनाम श्री देवकिशन जाट**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिपेक्ष्य में अपेक्षित है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण तसदीक नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी को चाहिये कि वह इसे साबित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद खातेदारी घोषणा बाबत विहित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करे। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के समर्थन में होने से चस्पा होते है और अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथ्यों की भिन्नता एवं वर्तमान प्रकरण में परिलक्षित विधिक स्थिति के विपरित होने से चस्पा नहीं होते है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट स्वीकार** की जाती है। तहसीलदार, गंगरार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 निरस्त/अपास्त किया जाकर मृतक श्री मांगीलाल उर्फ मांगू पिता हेमा जाट निवासी शम्भुपुरा की ग्राम शम्भुपुरा में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खतौनी संख्या 27 पर अंकित आराजी नम्बर 71, 74, 79, 170, 171, 187, 195, 201, 205, 206 एवं 207 कुल किता 11 रकबा 4.11 है. सम्वत 2071 से 71, वर्तमान खतौनी संख्या 38 पर अंकित आराजी संख्या 73 रकबा 2.32 है., वर्तमान खतौनी संख्या 40 पर अंकित आराजी नम्बर 183 रकबा 0.06 है., वर्तमान खतौनी संख्या 39 पर अंकित आराजी संख्या 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149/223 कुल किताा 10 रकबा 4.10 है. पर अंकित आराजीयात हिस्सा श्री मांगीलाल उर्फ मांगू पिता हेमा जाट व श्री मांगीलाल जाट के नाम अन्य कृषि भूमियां अपीलार्थी श्रीमती नन्दुबाई जाट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (महावीर खराड़ी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	